

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
छठवीं मंजिल सतपुडा भवन भोपाल
दूरभाष क्रमांक 0755-2551719, 2550186
ई-मेल Email Id dme12001@yahoo.com

संयुक्त राज्य स्तरीय एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 काउंसिलिंग कार्यक्रम

(संशोधित कार्यक्रम) नीट-यू0जी0 2016

दिनांक 04 / 10 / 2016

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई.ए. डब्ल्यू पी 76/2015 में पारित आदेश दिनांक 03/10/2016 के परिपालन में शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा (तृतीय चरण) एवं निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा की (द्वितीय चरण) की काउंसिलिंग दिनांक 04/10/2016 से दिनांक 07/10/2016 तक एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से कराई जाएगी।

इस चरण में भाग लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र प्रत्येक अभ्यर्थी को फेश च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है। जिसके बिना किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन अथवा अपग्रेडेशन नहीं हो सकेगा।

काउंसिलिंग के इस चरण का विस्तृत कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	दिवस
1	<p><u>च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग</u></p> <p>1. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित है यदि अपग्रेडेशन चाहते है तो उन्हें फेश च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है।</p> <p>2. सभी एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग के चरणों में सीट आवंटन नहीं हुआ उन्हें फेश च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।</p> <p>3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग के चरणों में सीट का आवंटन हुआ था परन्तु उनके द्वारा उस आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया, ऐसे अभ्यर्थियों को भी फेश च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है।</p> <p>4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेशित संस्था में अपने मूल दस्तावेज एवं फीस जमा कर दी है परन्तु उनका किसी कारणवश</p>	04.10.2016 को दोपहर 3:00 बजे से रात्रि 11:59 बजे तक	लगभग 09 घण्टे


5/10/16

	कम्प्यूटराईज ऑनलाईन प्रवेश पत्र (admission slip) जारी नहीं हुआ है उनको अप्रवेशित माना गया है। अतः उन्हें भी फ़ेश च्वाइस फिलिंग करना अनिवार्य है।		
2	अलॉटमेंट प्रक्रिया एवं आलॉटमेंट परिणाम	05.10.2016 को रात्रि 1:00 बजे से रात्रि 11:59 बजे तक	लगभग 23 घंटे
3	केन्द्रीयकृत मूल दस्तावेजों की स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में	06.10.2016 को प्रातः 8:00 बजे से	

इस चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे :-

- एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में सीट आवंटित हुई थी परन्तु उन्होंने उस आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया था।
 - एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी।
 - ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में शासकीय/निजी महाविद्यालय में सीट आवंटित हुई थी एवं उनके द्वारा अपग्रेडेशन का विकल्प दिया गया है।
 - निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की अनारक्षित श्रेणी की सीटों के आवंटन के लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने की बाध्यता नहीं है।
- इस चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए निम्न अभ्यर्थी अपात्र होंगे :-

- एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित एवं सेटिसफाईड (satisfied) अभ्यर्थी।
- एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित परन्तु फ़ेश च्वाइस फिलिंग न करने वाले अभ्यर्थी।

- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उन्हीं सीटों की च्वाइस फिलिंग भरें जिस पर वह प्रवेश लेने के इच्छुक है। आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश के समय जिन अभ्यर्थियों ने सेटिसफाईड (satisfied) का ऑप्शन दिया था उनकी प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।




3. ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए फेश च्वाईस फिलिंग नहीं की है उनकी पूर्व प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।
4. ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जो अपग्रेडेशन के लिए फेश च्वाईस फिलिंग करते हैं अपग्रेडेशन में चाही गई सीट यदि इस काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं मिलती है, तो उनकी पूर्व प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।

रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की ऑफ लाईन प्रक्रिया:-

इस चरण के उपरान्त यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो इन सीटों पर आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया ऑफलाईन की जाएगी।

ऐसे सभी एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड पात्र इच्छुक अभ्यर्थी जो इन सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 07/10/2016 को आवश्यक रूप से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में उपस्थित रहें।


5/10/16
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश